



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022026-270069
CG-DL-E-12022026-270069

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947

No. 676]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2026

का.आ. 710(अ).— भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को महानिदेशक नागर विमानन के ऐसी शक्तियों का प्रयोग (जिन्हें इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है) करने के लिए प्राधिकृत करती है जो उक्त प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं।

प्रथम अनुसूची

क्र.सं.	अधिकारी का पद नाम	दूसरी अनुसूची में निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना
(1)	(2)	(3)
1.	संयुक्त महानिदेशक, नागर विमानन	सभी
2.	उप महानिदेशक, नागर विमानन	1,2,3,4,5,6
3.	निदेशक, प्रचालन, रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रभाग	1,2,3,4,5,6

4.	निदेशक, उड़नयोग्यता	1
5.	उप निदेशक, प्रचालन, रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रभाग	5

दूसरी अनुसूची

क्र.सं.	रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस नियम, 2025 के नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति	शक्ति की प्रकृति
(1)	(2)	(3)
1.	नियम 8 का उप-नियम (2)	रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाण पत्र और लाइसेंस की लिखित परीक्षा के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना।
2.	नियम 8 का उप-नियम (2)	रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाण पत्र और लाइसेंस की व्यावहारिक परीक्षा के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करना
3.	नियम 8 का उप-नियम (3)	रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाण पत्र और लाइसेंस की व्यावहारिक परीक्षा के लिए परीक्षकों को अधिकृत करना।
4.	नियम 8 के उप-नियम (4) का दूसरा परंतुक	आवेदकों को लिखित परीक्षा से छूट देने के लिए
5.	नियम 14 का उप-नियम (2)	रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस की प्रतिलिपि जारी करना या मौजूदा रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर (निर्बंधित) प्रमाणपत्र और लाइसेंस में परिवर्तन करना।
6.	नियम 18 का उप-नियम (1)	नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) शीर्षक से विशेष निर्देश जारी करना
7.	नियम 18 का उप-नियम (4)	किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) शीर्षक से विशेष निर्देशों के प्रचालन से छूट देना।

[फा. सं. ए वी/25/2023-डी जी]

शोभित गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2026

S.O. 710(E).— In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the Bharatiya Vayuyan Adhiniyam, 2024 (16 of 2024), the Central Government hereby authorises the officers specified in column (1) of the First Schedule annexed hereto to exercise such of the powers of the Director General of Civil Aviation (more specifically described in the Second Schedule annexed hereto) as are specified in the corresponding entries in column (2) of the said First Schedule.

FIRST SCHEDULE

S. No.	Designation of the Officer	Powers in the Second Schedule to be exercised
(1)	(2)	(3)
1.	Joint Director General of Civil Aviation	All
2.	Deputy Director General of Civil Aviation	1,2,3,4,5,6
3.	Director of Operations, Radio Telephone Operator (Restricted) Division	1,2,3,4,5,6
4.	Director of Airworthiness	1
5.	Deputy Director of Operations, Radio Telephone Operator (Restricted) Division	5

SECOND SCHEDULE

S.No.	Rule of the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence Rules, 2025 by which power is conferred	Nature of Power
(1)	(2)	(3)
1.	sub-rule (2) of rule 8	To appoint invigilators for written examination of the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence.
2.	sub-rule (2) of rule 8	To appoint invigilators for practical examination of the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence
3.	sub-rule (3) of rule 8	To authorise examiners for practical examination of the Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence.
4.	second proviso to sub-rule (4) of rule 8	To exempt the applicants from written examination
5.	sub-rule (2) of rule 14	To issue duplicate Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence or variation in an existing Radio Telephone Operator (Restricted) Certificate and Licence.
6.	sub-rule (1) of rule 18	To issue special directions titled Civil Aviation Requirements (CAR)
7.	sub-rule (4) of rule 18	To exempt any person or class of persons from the operation of the special directions titled Civil Aviation Requirements (CAR)

[F. No. AV/25/2023-DG]

SHOBHIT GUPTA, Jt. Secy.